भारत सरकार/GOVT. OF INDIA
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग/MINISTRY OF FINANCE, DEPTT. OF REVENUE
कार्यालय प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु व सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क – जयपुर
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER, CENTRAL GOODS AND SERVICES TAX & CENTRAL EXCISE - JAIPUR
मुख्यालयः नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टैच्यू सर्किल, सी–स्कीम, जयपुर– 302005 (राज.)
HQ : NEW CENTRAL REVENUE BUILDING, STATUE CIRCLE, C-SCHEME, JAIPUR – 302005 (RAJ.)
फोन न. : 0141-2385104 वेतन शाखा Email ID : cecpayjaipur@gmail.com

F.No- II-39(01)Pay Cell/Misc/2022 Dated: .12.2023

आदेश

प्रायः यह पाया गया है कि अधिकांश शाखा प्रभारियों द्वारा शाखा में पदस्थापित कार्मिकों के अवकाश प्रार्थना पत्र (आकस्मिक अवकाश व ऐच्छिक अवकाश को छोड़कर) कार्मिकों के अवकाश उपभोग करने के बाद कार्यग्रहण कर लिये जाने पश्चात् प्रशासनिक अधिकारी(डीडीओ) को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाते है, जोकि नियमानुसार उचित नहीं है। इसके अलावा कार्मिको की सेवापुस्तिकाओं का अवलोकन करने पर यह भी पाया गया है कि अनेक कार्मिको के द्वारा गत 2–3 या इससे भी अधिक वर्षो में किसी भी प्रकार के अवकाश (अर्जित / सी.सी.एल./पी.एल. आदि अवकाश) लिये जाने की प्रविष्ठि नहीं है अर्थात 2–3 वर्षो में किसी प्रकार का अवकाश (EL/CCL/PL etc.) नहीं ली गई है जो कि मुमकिन प्रतीत नही होती है, तथा इससे यह भी प्रतीत होता है, कि मुख्यालय की अधिकांश शाखाओं द्वारा कार्मिकों द्वारा उपभोग किये जा रहे अवकाश के प्रार्थना पत्र वेतन अनुभाग में प्रेषित नही किये जा रहे है।

अतः समस्त शाखा प्रभारियों को निर्देश जारी किये जाते है कि वे अपने अधीनस्थ कार्मिकों के सभी प्रकार के नियमित अवकाश प्रार्थना पत्र EL/CCL/PL etc. (आकस्मिक अवकाश व ऐच्छिक अवकाश को छोड़कर) मय स्वीकृति की अनुशंषा के अग्रेषण पत्र के साथ कार्मिक के अवकाश पर प्रस्थान करने से पर्याप्त समय पूर्व प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ) को स्वीकृति हेतु प्रेषित करें । साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि कोई भी कार्मिक सक्षम अधिकारी द्वारा अवकाश स्वीकृति से पूर्व अवकाश पर प्रस्थान नही करें।

इसके अतिरिक्त सभी शाखा प्रभारी यह भी सुनिश्चित करें कि यदि कोई कार्मिक बिना अवकाश स्वीकृत कराएं अनाधिकृत रूप से अवकाश पर रहता है तो समुचित कार्यवाही कर प्रकरण उच्च अधिकारीयों को अविलम्ब संज्ञान लाएं।

यह आदेश प्रधान आयुक्त महोदय के निर्देश से जारी किये जा रहे है।

(ऋषि यादव)
अपर आयुक्त(का. एवं सत.)

फा0 सं0– II-39(01)Pay Cell/Misc/2022/ 108 दिनांक: .12.2023

प्रतिलिपि निम्न को भेजकर निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त के सम्बन्ध में अपनी अधीनस्थ कार्मिकों को आवश्यक रूप से अवगत करावें तथा उपरोक्तानुसार अनुपालना सुनिश्चित करावें :–

1. अपर आयुक्त(सी.सी.यू.), कार्यालय प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु व सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क, जयपुर।
2. उप/सहायक आयुक्त (सतर्कता)/कर–अपवंचना/तकनीकी/विधि/न्याय–निर्णय/सांख्यिकी/रिव्यू/ऑडिट/TAR/AAR, कार्यालय प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु व सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क, जयपुर।
3. मुख्यलेखाधिकारी (in situ), कार्यालय प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु व सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क, जयपुर।
4. अधीक्षक, सीस्टम शाखा सीजीएसटी आयुक्तालय, जयपुर (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु)

अपर आयुक्त(का. एवं सत.)